प्रेस नोट

***जनपद-संतकबीरनगर ***

दिनाँक 02.08.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित 02 बाल अपचारियों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 696/2025 धारा 70(2), 115(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित 02 बाल अपचारियों को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 28.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत दिनाँक 27.07.2025 को उक्त दोनो बाल अपचारी व 02 अन्य के विरुद्ध वादी की पुत्री से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 02.08.2025 को उक्त 02 नफर बाल अपचारियों को सुसंगत धाराओ में अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री इल्ताफ खाँ, म0हे0का0 अंजू सिंह।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घर में घुसकर दुष्कर्म करने तथा मारपीट व गाली, धमकी देने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 599/2025 धारा 64(1), 115(2), 333, 352, 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अभिषेक कुमार पुत्र अनिरुद्ध प्रसाद हाल पता गायत्री मन्दिर किन्नर गली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर स्थायी पता हरदीचक थाना बासगांव जनपद गोरखपुर को आज दिनाँक 02.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 08.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ दुष्कर्म करने तथा गाली, धमकी देने व मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर सुंसगत धाराओं में उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* वारण्टी नाम पता जवाहिर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी बाराखाल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विरेन्द्र चौधरी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 46 वाहनों से 44,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 02.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 46 वाहनों से 44,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 152/2025 धारा 137(2),65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता तजम्मुल पुत्र शमसेर निवासी कौन्सर थाना सकरन जनपद सीतापुर को आज दिनाँक 02.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को दिनाँक 19.02.2025 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 02.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 638/2025 धारा 109,115(2),352,351(3) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त नाम पता संतोष पति त्रिपाठी उर्फ भोला तिवारी पुत्र काशीनाथ तिवारी निवासी रंदौली उर्फ मठिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 02.08.2025 को पटखौली प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 15.07.2025 को विपक्षी अपरोक्त द्वारा वादी को हत्या करने के प्रयास व मारपीट के संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 02.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव**,** हे0का0 नुरुद्दीन, का0 मनीष कुमार यादव , का0 घनश्याम तिवारी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तो को 06-06 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु, 25-25 हजार के व्यक्तिगत बन्धपत्र से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 02.08.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 02 अभियुक्तो को 06-06 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु 25-25 हजार रु0 के व्यक्तिगत बन्धपत्र **से दण्डित किया गया**।

विवरणः-

मु0अ0सं0 2008/2003 धारा 323/325/504/506 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. डोंगई, 02. सुखराज पुत्रगण हरिलाल निवासीगण नौधवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में 06-06 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु 25-25 हजार रु0 के निजी बन्धपत्र **से दण्डित किया गया**।